

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक(सदस्य सचिव)
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय बैठक,
प्रीत विहार— नई दिल्ली
पठानक: सहारनपुर / एनोआ०सी०/

/2012-2013 दिनांक ३१-७-२०१२

विषय: डेलमोन्ड इंटरनेशनल स्कूल, देहरादून रोड, छुटमलपुर, सहारनपुर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1916 / 15-7-09--(299) / 2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14.07.2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति को डेलमोन्ड इंटरनेशनल स्कूल, देहरादून रोड, छुटमलपुर, सहारनपुर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ७०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद् / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था: द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मौग नहीं की जायेगी तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली / काउन्सिल पार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इवजामिनेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने की दशा में पूर्व से अन्य परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था को ७०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 6- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 7- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 8- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 9- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

DELLMOND INTERNATIONAL SCHOOL

मैनेजर
MANAGER

PRINCIPAL

Dellmond International School
Chhutmalpur (SRE.)

02



MANAGER

Dellmond International School
Chhutmalpur (SRE.)

(2)

- 10— विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 11— उक्त शालों में मण्डलीय समिति/संघ सरकार के पूर्वानुसन्दर्भ के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रवत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(योगेन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

पृ०सं०: स०पुर/एन०ओ०सी०/ २६१२-१९ / 2012-2013 तद्विनोक।

इप्र०पल की प्रतिलिपि जिन्हालियित लो सूचनाएँ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सप्लान, भाष्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
2— आयुक्त (अध्यक्ष मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
3— जिलाधिकारी(सदस्य, मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
4— शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, 18-पार्क रोड, लखनऊ।
5— जिला विधालय निरीक्षक (सदस्य मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
6— प्रबन्धक, डेलमोन्ड इंटरनेशनल स्कूल, देहरादून रोड, छुटमलपुर, सहारनपुर।
7— निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8— सम्बन्धित पत्रावली पर।

(योगेन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

DELLMOND INTERNATIONAL SCHOOL

के ऊपर
MANAGER

PRINCIPAL
Dellmond International School
Chhutmalpur (SRE.)
(SRE) in India



MANAGER
Dellmond International School
Chhutmalpur (SRE.)